बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक____________ पटना, दिनांक____________

ग्रा.वि.07(BISPSP)-02/2016

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में विपत्र कोड-42-2515001020516 के अन्तर्गत कुल 6,30,87,800(छः करोड तीस लाख सत्तासी हज़ार आठ सौ) रूपये आवंटन के संबंध में ।

प्रसंगः- स्वीकृत्यादेश सं0-371091 दिनांक- 24.05.2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विश्व बैंक संपोषित बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में विपत्र कोड-42-2515001020516 के अन्तर्गत कुल 6,30,87,800(छः करोड तीस लाख सत्तासी हज़ार आठ सौ) रूपये आवंटित किया जाता है ।

2. आवंटित राशि कुल 6,30,87,800(छः करोड तीस लाख सत्तासी हज़ार आठ सौ) रूपये की निकासी मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 102-सामुदायिक विकास, उप शीर्ष 0516- बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2515001020516 अंतर्गत की जायेगी ।

3. आवंटित राशि की निकासी ग्रामीण विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी । निकासी की गई राशि **<u>Bihar Integrated Social Protection Strengthening Project (BISPSP)</u>** के नाम से ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जायेगी तथा Account no- 3300297250, Central Bank of India, Budh Marg Patna, Branch Code 1488, Branch IFSC Code CBINO 281488, Branch MICR No. 800016010. में संधारित किया जायेगा ।

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 के कंडिका 02 में निहित चौमाही बंधेज को वित्त विभाग के ज्ञापांक- एम0-4-09/2014/3244 दिनांक 04.05.2018 से शिथिल किये जाने के आलोक में आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की जा सकती है ।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है ।

7. आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली /कोषागार संहिता, बजट मैनुअल /सचिवालय अनुदेश एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अक्षरशः सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

8. आवंटित राशि से अधिक की निकासी या गलत निकासी की सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी । कृपया आवंटित राशि की निकासी का प्रमाणक संख्या, तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना /वित्त विभाग / विभागीय बजट शाखा-10 को अनिवार्य रूप से तुरंत भेज दें ।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर / इकाईयों का कोड / विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके । इस आवंटन के विरूद्ध वास्तविक व्यय का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान किया जाय ताकि विभागीय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों में भिन्नता न हो ।

10. किसी भी परिस्थित में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान की औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाय, तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना, संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(राधा किशोर झा)
संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक ____________ पटना, दिनांकः ____________
ग्रा.वि.07(BISPSP)-02/2016

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक ____________ पटना, दिनांकः ____________
ग्रा.वि.07(BISPSP)-02/2016

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 398238 पटना, दिनांकः 26.11.18
ग्रा.वि.07(BISPSP)-02/2016

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी-10 (बजट शाखा) / वित्त नियंत्रक/ लेखापाल, BRDS/ I.T. Manager, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संयुक्त सचिव ।